राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 10.05.2021

आदेश

राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि वरिष्ठ नागरिक एवं अन्य रोगी जिनकी Chronic Diseases की नियमित दवाऐं चलती है, वह COVID-19 से उत्पन परिस्थिति के कारण राजकीय चिकित्सक से परामर्श प्राप्त नहीं कर पा रहे है/अथवा अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे मरीजों को कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को देखते हुए 10, अप्रेल, 2021 या उसके बाद के राजकीय चिकित्सकीय परामर्श (Prescription) के आधार पर नियमित दवाऐं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जावें। चिकित्सकीय परामर्श की पर्ची की दवा राज्य के किसी भी अस्पताल/सीएचसी/पीएचसी से प्राप्त की जा सकती है।

साथ ही राजस्थान राज्य के समस्त कैमिस्टों को निर्देशित किया जाता है कि 10 अप्रेल, 2021 के बाद के चिकित्सकीय परामर्श (Prescription) के आधार पर जो दवायें मरीज को नियमित रूप से दिया जाना आवश्यक हो, उपलब्ध कराई जावें तथा चिकित्सकीय परामर्श पर्ची (Prescription) पर "दवा उपलब्ध करवा दी गई" लिखते हुए अपनी मोहर भी लगाया जाना सुनिश्चित किया जावें।

उक्त आदेश राज्य में लॉक डाउन समाप्त होने पर स्वतः ही निष्प्रभावी माने जावें।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
02. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
03. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय ।
04. वरिष्ठ उप सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
05. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
06. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
07. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
08. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
09. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
10. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर।
11. औषधि नियन्त्रक, औषधि नियन्त्रण संगठन, राज. जयपुर।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
13. कैमिस्ट एसोसियेशन, राज0 जयपुर
14. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
15. निजी/रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव